फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सरकार बनाम नन्दकिशोर वगै0

किस्म मुकदमा–177 आर0टी0ए0 मु0नं0–01/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण अ0धा0 177 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि राजस्व ग्राम गीजगढ पटवार हल्का गीजगढ के खाता संख्या 1144 खसरा नम्बर 3963/1515 रकबा 0.2950 है0 की भूमि खातेदारों के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में से मौजुदा समय में 0.2950 है0 सम्पूर्ण रकबा में होटल निर्माण किया हुआ है। उक्त कृषि भूमि का अकृषि उपयोग बिना रूपान्तरण के किये जा रहा है। इसलिए विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी विधिवत जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से वादपत्र का जवाब बिन्दुवार पेश किया एवं वादपत्र का खण्डन किया। तथा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि विवादित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग लिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में फसल एवं पशुओं के चारे इत्यादि को रखने हेतु कुछ हिस्से पर निर्माण किया हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उभयपक्ष के तथ्यों का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा स्वंय विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। विवादित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण किया गया है लेकिन उक्त निर्माण निजी प्रयोजनार्थ एवं कृषि एवं पशुओं के उपयोग हेतु किया जाना प्रतीत होता है विवादित भूमि में किसी प्रकार के होटल इत्यादि का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रकरण अ0धा0 177 आर0टी0ए0 खारिज योग्य है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश प्रकरण अ0धा0 177 आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायाल में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	